

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 147/2010/जयपुर

मैसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लि०,
नोयडा (यू०पी०)

....अपीलार्थी

बनाम्

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता षष्टम्, राजस्थान जयपुर
2. उपायुक्त (अपील्स) तृतीय,
जयपुर

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 01.08.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 190/आरएसटी./एनआरडी/2005-06 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 06.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता षष्टम्, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.08.1998 के जरिये कायम की गयी शास्ति राशि रुपये 48,697/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.08.1998 को ट्रांसपोर्ट कंपनी मैसर्स एल.बी. सर्विस लि. के देहली रोड स्थित गोदाम की जांच पर पाया गया कि बिल्टी नं. 0051560 दिनांक 28.08.1998 के द्वारा कम्प्यूटर आइटम्स 9 नग राज्य में मंगवाये गये थे। उक्त माल के संबंध में मैसर्स एच.सी.एल. इन्फोसिस्टम लि., नोएडा का डिलीवरी चालान संख्या 98005786 व बिल नं० 98005786 दिनांक 15.06.1998 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त माल का प्रेषित मैसर्स बी.पी.एल. इंजिनियरिंग लि., जयपुर था। उक्त माल चूंकि नियम 53 के अंतर्गत अधिसूचित माल था अतः इसके साथ में विनिर्दिष्ट घोषणा पत्र एसटी 18ए होना आवश्यक था

निरन्तर.....2

31

परन्तु जांच के समय उक्त घोषणा पत्र माल के अन्य प्रपत्रों के साथ नहीं पाया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषित आयातकर्ता मैसर्स बी.पी.एल. इंजिनियरिंग लि०, जयपुर को नोटिस दिये जाने पर उक्त फर्म द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर के खरीद हेतु आदेश नोएडा स्थित फर्म मैसर्स एच.सी.एल. इनफोसिस्टम लि. नोएडा को दिया गया था तथा उसके द्वारा यह माल उनके जयपुर कार्यालय में ही सप्लाई किया जाना था, अतः नोएडा से जयपुर तक माल परिवहन के संबंध में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह करते हुए अग्रिम कार्यवाही आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध ही करने की प्रार्थना की। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता/प्रेषक फर्म को शास्ति आरोपण बाबत नोटिस जारी किया तथा उसका प्रत्युत्तर अस्वीकार करते हुए धारा 78(5) के अंतर्गत शास्ति आरोपण किया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति राशि को यथावत रखा है। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि यह माल प्रेषिति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिये लाया जा रहा था, अतः फॉर्म एसटी 18ए की आवश्यकता नहीं थी। द्वितीयतः उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा यह माल जयपुर स्थित फर्म को अन्तर्राज्यीय बिक्री के रूप में 2 प्रतिशत सीएसटी चुकाते हुए विक्रय किया है, अतः घोषणा पत्र एसटी 18ए पेश करने का दायित्व आयातकर्ता फर्म का ही होना चाहिये। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध जो शास्ति आरोपण किया गया है वह विधिविरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश की पुष्टि कर विधिक त्रुटि की है, अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त करने व प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।
5. प्रत्यर्थी-राजस्व की ओर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में दो बिन्दु विवादित हैं— जिनमें प्रथम यह कि क्या निजी प्रयोग/उपयोग के लिये लाये जाने वाले माल का घोषणा पत्र



एसटी 18ए प्रस्तुत करने की बाध्यता लागू होती है, तथा द्वितीय यह कि जब राज्य के बाहर के विक्रेता को राज्य में स्थित स्थानीय क्रेता को माल की स्थानीय सुपुर्दगी (door delivery) करनी हो तो ऐसी दशा में फॉर्म एसटी 18ए का दायित्व किस फर्म का होगा। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से ग्रह तथ्य सामने आता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम माल आयातकर्ता मैसर्स बी.पी.एल. इंजिनियरिंग लि. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके जवाब में उनकी ओर से ब्रांच मैनेजर ने यह जवाब दिया कि उक्त माल की डिलीवरी उनके जयपुर स्थित कार्यालय सी-86, शास्त्रीनगर जयपुर पर करने का दायित्व मैसर्स एच.सी.एल. इनफोसिस्टम लि. का था, एवं जो उन्हें नोटिस जारी किया गया है वह सही नहीं है तथा अग्रिम कार्यवाही उक्त प्रेषक फर्म के विरुद्ध ही की जाये। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी करते हुए उसका प्रत्युत्तर अमान्य कर अधिसूचित माल बिना निर्दिष्ट घोषणा पत्र के परिवहन करने के कारण शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को कहीं भी गलत नहीं बताया गया है कि उनके द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला माल प्रेषिति के स्थल पर door delivery नहीं किया जाना था।

7. प्रथम विवादित बिन्दु— कि क्या निजी प्रयोग/उपयोग के लिये लाये जाने वाले माल का घोषणा पत्र एसटी 18ए प्रस्तुत करने की बाध्यता लागू होती है, के संबंध में नियम 53(1)(a)(iii) के अनुसार रुपये 10,000/- से अधिक कीमत के आयातित अधिसूचित माल का राज्य में विक्रय से भिन्न प्रयोग, उपयोग, उपभोग या अन्यथा निष्पादन किये जाने की दशा में भी एक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा घोषणा पत्र ST 18A प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आयातित माल का विक्रय से भिन्न उपयोग/उपभोग होने की दशा में भी इस पर घोषणा पत्र ST 18A प्रस्तुत किये जाने का दायित्व बनता है।

8. द्वितीय विवादित बिन्दु— कि जब राज्य के बाहर स्थित विक्रेता द्वारा राज्य में स्थित क्रेता को माल की सुपुर्दगी उसके ऑफिस में (door delivery) ही करनी हो तो ऐसी दशा में फॉर्म एसटी 18ए का दायित्व किस फर्म का होगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषिति फर्म द्वारा प्रश्नगत संव्यवहार को स्थानीय आपूर्ति के कारण राज्य के भीतर का ही संव्यवहार बताया है तथा प्रेषक फर्म द्वारा इसका कोई rebuttal नहीं किया है, अर्थात् माल का राज्य के भीतर परिवहन प्रेषक द्वारा स्वयं के लिये ही किया गया है तथा प्रश्नगत माल राज्य में लाने के पश्चात इसकी सुपुर्दगी क्रेता फर्म के ऑफिस में की जानी थी, अतः ऐसी स्थिति में जब क्रेता द्वारा माल के आयातकर्ता के रूप

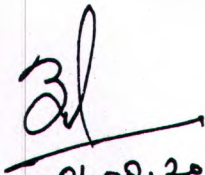
31

में अपनी प्रारिथिति को disown किया गया है तब इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति विशेष को दृष्टिगत रखने पर प्रश्नगत माल का आयातकर्ता अपीलार्थी व्यवहारी को ही माना जायेगा तथा ऐसी स्थिति में घोषणा पत्र ST 18A प्रस्तुत किये जाने का दायित्व भी अपीलार्थी का ही होगा। यहां यह टिप्पणी किया जाना भी आवश्यक है कि विक्रेता एवं क्रेता फर्मों के बीच में ही उक्त बिन्दु सप्लाई ऑर्डर दिये जाने के समय ही तय किया जाना चाहिये था कि यदि माल अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में सप्लाई किया जाता है तो ऐसी दशा में राज्य का घोषणा पत्र दिये जाने का दायित्व किसका होगा, अतः यह आवश्यक रूप से इन दोनों पक्षों के बीच का एक commercial dispute है, जिसका जांच अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी से कोई सरोकार नहीं है। जांच अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष परिवहनित माल का घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था अतः माल के घोषित स्वामी के विरुद्ध उसके द्वारा कार्यवाही की जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

9. उक्त विवेचनानुसार यह निर्णीत किया जाता है कि परिवहनित माल के साथ में निर्दिष्ट घोषणा पत्र नहीं पाये जाने के कारण धारा 78(2)(a) का उल्लंघन पाया जाता है तथा जिसके कारण धारा 78(5) के अंतर्गत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत है, अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

10. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


01.08.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य